उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-12 /2021/96943-10-26001(002)/1/2021-4 -
लखनऊ : दिनांक 13/09/2021

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति पर श्री राज्यपाल द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेविल-10, रू0 56,100 से 1,77,500 में नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1	2	3
1	231	आरिफ रजा फात्मी
2	286	चन्द्रपाल सिंह
3	324	उमेश चन्द्र
4	326	आमोद शंकर शुक्ल
5	333	पवन कुमार सिंह
6	335	अनिल कुमार श्रीवास्तव-।।
7	336	अवनीश
8	337	राजेश कुमार शुक्ल
9	338	अजय कुमार
10	340	प्रमोद कुमार मिश्र
11	341	राम प्रकाश पाण्डेय
12	343	अरविन्द कुमार सिंघल

2- उक्त अधिकारियों को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3- उक्त पदोन्नत अधिकारी तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

4- उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- उक्त नव पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

संजय कुमार
सचिव।

<u>पत्र संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-11/02/पी/एस-5/2021-22, दिनांक 28.08.2021के सन्दर्भ में।
4. सम्बन्धित उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- सम्बन्धित अधिकारी ।
7- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, उ0प्र0 को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सजीवन
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।